संचिका स0–7/बजट–46–05/2021 – 543 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 20/03/2025

विषयः– राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय में 150 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय, 200 बेड के चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रु० 2,57,46,00,000/–(रुपये दो अरब सन्तावन करोड़ छियालिस लाख) की लागत पर स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रु0 7,81,00,000/–(रुपये सात करोड़ इक्यासी लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–6173, दिनांक–26.11.2021 के द्वारा राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय के नये भवन निर्माण संबंधी योजना का स्थूल प्राक्कलन कुल 2,57,46,00,000/–(रुपये दो अरब सन्तावन करोड छियालिस लाख) मात्र उपलब्ध कराया गया था। जिस क्रम में 150 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय, 200 बेड के चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यों के लिए कुल रू० 2,57,46,00,000/–(रुपये दो अरब सन्तावन करोड छियालिस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–254(7), दिनांक–11.01.2022 के द्वारा दी गयी थी।

2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक–24. 01..2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक–24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्राक–69/वि0 दिनांक–27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I " के तहत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 7.81 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय में 150 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय, 200 बेड के चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रु० 2,57,46,00,000/–(रुपये दो अरब सन्तावन करोड़ छियालिस लाख) की लागत पर स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रु0 7,81,00,000/–(रुपये सात करोड़ इक्यासी लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0/आवंटनादेश सं0 एवं दिनाक
1	2021–22	6,00,00,000/–	सं0–301(7), दिनांक–07.02.2022
2	2023–24	35,00,00,000/–	स0–460(7), दिनांक–30.01.2024

3	2023–24	10,00,00,000/–	सं0–598(7), दिनांक–07.03.2024
4	2024–25	20,00,00,000/–	सं0–103(7), दिनांक–19.07.2024
5	2024–25	32,19,00,000/–	सं0–366(7), दिनांक–20.01.2025
कुल योग–		**1,03,19,00,000/–**	

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–254(7), दिनांक–11.01.2022 में निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा एव निर्माण एजेन्सी के द्वारा किसी अन्य योजना में इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा।

6– इस व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–110 अस्पताल तथा औषधालय–0101–आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, विपत्र कोड–20–4210021100101, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबधित राशि/**तृतीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017, 7111/वि0, दिनांक–28.07.2022 एवं 12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 7/बजट–46–05/2021 के पृष्ठ–33/टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-05/2021 – 513(7) /स्वा0, पटना, दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/प्राचार्य, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।